

फर्द अहकाम

बनाम चण्डराम

शान्ति

नाम न्यायालय

केस संख्या 26/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	4/1/24	<p>पत्रावली पेश की। आदेशानुसार प्रत्येक प्रकरण में प्रत्येक पक्ष को 10 दिनों के अन्दर जमाने के आदेश दिए गए।</p> <p>10/1/2017 की पत्रावली पर आदेश दिया कि 10/1/2017 की पत्रावली पर आदेश दिया कि</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>
	10/1/2017	<p>पत्रावली पर आदेश देना प्रस्तावित है।</p> <p>बाकी का तदनुसार स्थायी विधिपालन किया जाता है विस्तृत विधिपालन से निश्चिताया जाकर शान्ति पत्रावली किया जाकर पत्रावली फास्ट ट्रैक टैकर फेज का सेफाज दे वापस तगरील शान्ति दफतर हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर</p>



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय, जयपुर


पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 26/2017
निर्णय दिनांक : 10.01.2024

शांति देवी पत्नी श्री रघुनाथ प्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास, तहसील आमेर जिला जयपुर
वादी
बनाम

चन्दाराम पुत्र श्री रामसहाय जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास, तहसील आमेर जिला जयपुर
प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत तकासमा, हुकम इम्तनाई दवामी अन्तर्गत
धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सालडवास पटवार क्षेत्र चंदवाजी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चंदवाजी, तहसील आमेर जिला जयपुर कृषि भूमि खाता संख्या नया 101 पुराना 117 में स्थित खसरा नम्बर 125/1 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.05 हैक्टेयर में वादीया का हिस्सा 11/14 निहित है, तथा शेष हिस्सा 3/14 प्रतिवादी संख्या 1 का दर्ज व अंकित था। वादीया अपने हिस्से अनुसार वादअधीन भूमि के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार है। वादीया व प्रतिवादी संयुक्त रूप से उक्त भूमि में काबिज होकर निरन्तर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे। वादीया व प्रतिवादी ने आपसी सहमति के आधार पर भूमि का विभाजन कराया। आपसी सहमति के विभाजन के आधार पर नामान्तरण संख्या 253 दिनांक 08/03/2016 के अनुसार खसरा नम्बर 125/2 रकबा 0.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 126 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर वादीया के नाम दर्ज व अंकित की गई तथा भूमि खसरा नम्बर 125/1/1 रकबा 0.06 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी के नाम दर्ज व अंकित की गई। इस पर प्रकार वादीयाया भूमि खसरा नम्बर 125/2 व 126 की बाद विभाजन तन्हा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड की जाकर भूमि पर दस्तुर काबिज काश्त रही। उक्त विभाजन आपसी सहमति के आधार पर दर्ज व अंकित किया गया था। कृषि भूमि खसरा नम्बर 125/2 एवं 126 की भूमि विवादग्रस्त भूमि है। बाद विभाजन वादीयाया एवं प्रतिवादी की खातेदारी की नाप जो होकर विभाजन अनुसार भूमि पर काबिज काश्त हो गये, व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि वादीयाया की भूमि के उत्तर में लगती हुई हैं। वादीया व प्रतिवादी अपनी-अपनी भूमि के मध्य में सीमा चिन्ह बाद विभाजन स्थापित कर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रतिवादी के मन में फितुर आ गया है और वह विवादग्रस्त कृषि भूमि पर येनकेन प्रकारेण कब्जा करने की व अतिक्रमण करने की ताक मे है तथा निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रहा है। वादीया से झगडा फसाद कर वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर वादीया को बेदखल करने पर उतारू है। दिनांक 25-07-2017 को वादीया अपने खेतों की सार संभाल कर रही थी तब प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि की उत्तरी सीमा पर आकर बैठ गये तथा ट्रौली में कुछ पत्थर डालकर वादीया की कृषि भूमि पर डालने लगे इस पर वादीया ने प्रतिवादी को बुलाकर बातचीत की और इस संबंध में जानकारी करनी चाही तो उन्होने कहा कि सीमा चिन्ह को नष्ट करके पत्थर गाढेंगे क्योंकि इसमें हमारी जमीन आती है। तथा इस भूमि पर निर्माण कार्य करवायेंगे। वादीया ने जब उन्हें इस तरह वादीया की इजादत बिना अवैध कृत्य के लिये इन्कार किया कि किसी प्रकार का निर्माण किया तो ठीक नहीं होगा व सीमा चिन्ह को नष्ट नहीं करें तो प्रतिवादी ने वादीया को साथ भला बुरा कहने लगे व धमकी दी कि तुम में दम हैं तो हमे निर्माण करने से रोक लेना। प्रतिवादी पैसे व ताकत के बल यदि वादीया को अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने व उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने एवं सीमा चिन्हों को समाप्त करने में कामयाब हो जाते है तो वादीया को अपने वैधानिक अधिकारो का हनन व अपूर्वतनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किसी भी सूरत मे नहीं हो सकेगी। वादीया वादअधीन भूमि के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। जबकि वाद अधीन भूमि से प्रतिवादी का किसी भी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। विधि के अनुसार वादीया को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराये कि वादअधीन भूमि के किसी भी हिस्से पर नाजायज कब्जा नहीं करें, ना ही वादअधीन भूमि के उत्तरी दिशा में पुराना सीमा चिन्ह एवं मिट्टी की डोल नहीं तोड़े, वादीया के शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने तथा बाहुबल के आधार पर नाजायज वादीया की भूमि पर कब्जा ना करने, तथा उपयोग-उपभोग करने से निषेद्ध रहे, तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करने एवं पत्थर डालने की कार्यवाही नहीं करें तथा अपने-अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा मौका की यथास्थिति बनायीं रखें।


सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 13.11.2017 को प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 02.2018 को अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र बाबत मूल विभाजन पत्र तलब किये जाने का पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.04.2018 को खारिज किया गया। दिनांक 06.03.2019 को प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब दावे का अवसर बन्द किया गया। दिनांक 20.06.2019 को वादिया ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया। दिनांक 14.08.2019 को साक्ष्य वादी जिरह का अवसर बंद किया गया। दिनांक 04.09.2019 को प्रार्थनापत्र बाबत जवाब दावा व साक्ष्य जिरह का अवसर खोलने हेतु प्रस्तुत किया गया व पत्रावली वास्ते जवाब दावा व साक्ष्य जिरह हेतु नियत की गयी। दिनांक 25.11.2019 को प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थी/प्रतिवादी को जवाब पेश करने का अवसर दिया गया। दिनांक 10.12.2019 को प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर कलेम पेश किया जो इस प्रकार है: वादिया के पति रघुनाथ बदमाश व भूमाफिया व्यक्ति है जो गरीब काश्तकारों की भूमि को हड़प करने का कारोबार करता है तथा वादिया का पति ग्राम सालडवास का निवासी नहीं है ग्राम भीमपुरा तहसील आमेर का निवासी है। वादिया द्वारा गलत तथ्यों पर वाद पेश किया है, जिसमें स्वयं का निवास भी गलत दर्शाया गया है। खाता सं 101 में खसरा नंबर 125, रकबा 0.19 है व खसरा नंबर-26 रकबा 0.05 है। में वादिया का 11/14 हिस्सा व प्रतिवादी का 3/14 हिस्सा संवत् 2071 से 2074 में सहखतेदार होना स्वीकार है जबकि वादिया का राजकीय राजमार्ग से लगवा कब्जा नहीं है इस भूमि का क्रय वादिया द्वारा बिना कब्जे से ही किया गया है, केवल मात्र प्रतिवादी को हेरान व परेशान करने की नियत से यह वाद पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार आमेर के समक्ष उत्तरदाता की उपस्थिति व सहमति से कोई विभाजन नहीं किया गया नामान्तरण सं. 253 दिनांक 8-3-16 को गलत तरीके से तस्दीक किया गया है। भूमि किसी प्रकार से विवादित नहीं है। मौके पर किसी प्रकार की नाप जोख की कार्यवाही नहीं की गई न ही किसी प्रकार से सीमा चिन्हे कायम किये गये। उत्तरदाता के कब्जे काश्त में जो पूर्व में मनबटके द्वारा उत्तरदाता के हिस्से में आया है उसी पर काबिज है तथा एक लोहे की थड़ी रखहर उसमें चाय बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। उत्तरदाता अपने कब्जेशुदा आराजी पर ही निर्माण कर रहा है, क्योंकि इस स्थान पर पूर्व में लोहे की थड़ी रखी हुई थी। दिनांक 25-7-17 को वादिया खेत पर नहीं गयी न ही किसी प्रकार की कोई घटना घटित हुई। वादिया द्वारा किसी प्रकार का ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया जिनसे यह साबित होता हो कि प्रतिवादी द्वारा जिस स्थान पर निमाण कार्य किया जा रहा है वह स्थल वा दिया की सीमा में स्थित है।

दिनांक 25.02.2020 को वादी की ओर से जवाब काउन्टर कलेम पेश किया जो इस प्रकार है वादअधीन भूमि का विभाजन वादी व प्रतिवादी के मध्य दिनांक 01/03/2016 को आपसी सहमति द्वारा तहसीलदार जयपुर द्वारा किया गया। उक्त विभाजन पत्र वादी व प्रतिवादी द्वारा आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 01/03/2016 को 100/-रुपये स्टाम्प पेपर पर लिखा जाकर मय प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 01/03/2016 को स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के नक्शे अनुसार भूमि का विभाजन कर भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया। उक्त विभाजन पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 253 दिनांक 08/03/2016 को स्वीकार किया गया। उक्त विभाजन पत्र आपसी सहमति के अनुसार एवं पूर्णतः विधि अनुसार दर्ज किया गया है। यदि काउन्टर कलेम प्रस्तुतकर्ता को विभाजन के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सक्षम न्यायालय में विभाजन की अपील प्रस्तुत करें। वादी व प्रतिवादीगण वादअधीन भूमि पर विभाजन पूर्व से ही आपसी सहमति के अनुसार काबिज काश्त हैं। उसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 01/03/2016 को आपसी सहमति के आधार पर विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में भूमि का अंकन कराकर भूमि को विकसित कर लिया। वादअधीन भूमि के वादी रिकार्ड्ड खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि मिन उत्तरदाता को किसी प्रकार की स्थायी व अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करावें। अतिरिक्त कथन-प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद में किसी प्रकार की कोई वादकारण अंकित नहीं किया गया है। वादअधीन भूमि का दिनांक 01/3/2016 को ही आपसी सहमति के आधार पर विभाजन हो गया। उसी अनुसार वादअधीन भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादअधीन भूमि के तीन वर्ष पूर्व हुये आपसी विभाजन पत्र को आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। दिनांक 05.03.2020 को प्रकरण में तनकी कायम की गयी जो इस प्रकार है

1. आया वाद अधीन भूमि खसरा नं. 125/2, 126 वाके ग्राम चन्दवाजी का वादी रिकार्डज खातेदार काश्तकार है। उक्त वाद अधीन भूमि में प्रतिवाद स. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराने का अधिकारी है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, रूकावट, नदाखलत इत्यादि ना करें।

-वादी

2. आया वाद अधीन भूमि का विभाजन नहीं हुआ है वाद अधीन भूमि का विभाजन मुगालते में व फर्जकारी करके किया गया है।

-प्रतिवादी स. 2

3. आया भूमि के पूर्व में हुये विभाजन को निरस्त कर पुनः विभाजन किया जाये।

-प्रतिवादी/प्रतिवाद प्रस्तुतकर्ता

सहायक कलेक्टर (फिस्ट टूक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

4. आया वादी का वाद बिना वादकारण वाद प्रस्तुत किया है वादी का वादकारण के अभाव में वाद खारिज योग्य है।

-प्रतिवादी

5. अनुतोष ?

वाद-बिन्दू कायम होने के पश्चात् वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2071-74 प्रदर्श-1, प्रमाणित प्रति बटवारा नामा दिनांक 25.02.2016 प्रदर्श-2, प्रमाणित प्रति कृषि भूमि का सहखातेदारों के बीच आपसी सहमति से विभाजन प्रदर्श-3, प्रमाणित प्रति नामांतरण प्रदर्श-4, प्रमाणित प्रति नजरी नक्शा प्रदर्श-5 पेश किये हैं। मौखिक साक्ष्य में वादी में गवाह पीडब्लू 1 शांति देवी, पीडब्लू 2 महादेव प्रसाद मीणा, पीडब्लू 3 बट्टीप्रसाद मीणा व साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह डीडब्लू 1 चन्दाराम, डीडब्लू 2 कालू पुत्र सोनाराम, डीडब्लू 3 रामा देवी के बयान लेखबद्ध किये गये व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु नियत की गयी।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बयान गवाहान को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 25.02.2016 को हुआ बटवारा सहमति से तहसीलदार आमेर के समक्ष हुआ है। बटवारे में आयी भूमि में वादिया काबिज होकर निरन्तर काश्त कर उपयोग-उपभोग करती आ रही है। आपसी सहमति के विभाजन के आधार पर खुला नामान्तरण सं 253 दिनांक 08.03.2016 के अनुसार खसरा नं 125/2 रकबा 0.13 हैक्टेयर व खसरा नं 126 रकबा 0.05 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर वादिया के नाम दर्ज व अंकित है। अतः वादिया का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौरान बहस कथन किया वादी द्वारा एक वाद श्रीमान के समक्ष ग्राम सालडवास तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 125/1 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.05 हैक्टेयर में वादीया का 11/14 व प्रतिवादी का 3/14 हिस्सा अंकित थी जो भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि थी तथा आपसी सहमति के आधार पर विभाजन किया जाकर नामान्तरण संख्या 253 दिनांक 08-03-2016 को तस्दीक किया गया जिसके आधार पर खसरा नम्बर 125/2 रकबा 0.13 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 126 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 0.18 हैक्टेयर वादी की दी गई तथा खसरानम्बर 125/1/1 रकबा 0.06 हैक्टेयर की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई इस प्रकार दोनों पक्षकार अपनी अपनी भूमि पर काबिज है वादीया द्वारा खसरा नम्बर 125/2 व 126 के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है तथा दिनांक 25-07-2017 को भूमि की उत्तरी दिशा पर पत्थरडाल कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण व निर्माण करने से वाद कारण उत्पन्न होना बताया जाकर यह वाद पेश किया गया तथा वाद पत्र में अनुतोष चाहा कि वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत उत्पन्न नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र में जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजीयात ग्राम साडलवास में स्थित है तथा वादीया व वादीया के पति ग्राम भीवपुरा में निवास करते हैं जिनके द्वारा बिना कब्जे काश्त की भूमि क्रय की गई थी जिस पर आज दिनांक तक भी कब्जा नहीं है। तथा वादीया का राष्ट्रीय राजमार्ग से लगवा कब्जा नहीं है ना ही क्रय करने के समय कब्जा या विक्रय पत्र की प्रति भी न्यायालय में पेश नहीं की गई है। तथा वादी व प्रतिवादी के मध्य कभी भी भूमि का विभाजन नहीं हुआ है प्रतिवादी द्वारा पूर्व में पूर्व खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बटवारा कर रखा है। उसी स्थान पर प्रतिवादी काबिज होकर लोहे की थडी रखकर चाय बनाने की दुकान चलाता है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वादीया द्वारा काल्पनिक कहानी बनाकर वाद पत्र पेश किया है कभी भी वादीया का मौके पर कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा प्रतिवादी अपने कब्जेशुदा भूमि पर ही निर्माण कार्य कर रहा है व प्रतिवादा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 25-02-2016 को किसी प्रकार का विधिवत तकासमा तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया व अनुतोष चाहा गया कि तहसीलदार द्वारा किया गया विभाजन पत्र शून्य किया जावे। काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई। उसके पश्चात् वादी व प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पेश किया गया जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई जिसमें वादीया ने जिरह में यह माना की जमीन पर काश्त कौन करता है मुझे पता नहीं है भूमि क्रय करते समय मौके पर कब्जा नहीं लिया गया। व प्रदर्श 3 पर हस्ताक्षर किस स्थान पर है पता नहीं प्रदर्श 2 पर सी से डी स्थान पर हस्ताक्षर कहा किये गये मुझे पता नहीं तथा प्रदर्श डी तैयार किया गया मुझे पता नहीं व प्रदर्श 5 में मेरा हिस्सा कहा पर है मुझे पता नहीं है पी.डब्ल्यू 2 द्वारा साक्ष्य जिरह में यह बताया गया कि भूमि का विभाजन बेचान के बाद किया है पहले भी प्रतिवादी चन्दा का कब्जा नले के पास वाली जमीन पर था तथा चन्दा द्वारा अपनी कब्जेशुदा भूमि पर ही चाय की थडी लगा रखी है जिस पर चाय बनाता है व बटवारे समय तहसील में मौजूद नहीं था स्वयं भूमि का शान्ति काश्त नहीं करती। शान्ति की जमीन पर सुरेश नारायणी रामचन्द्र ने कब्जा किया था। चन्दा के पत्थर अलग से पड़े हये हैं बटवारे में जो नम्बर आये है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। तथा दोनों पक्षों ने कभी भी जमीन की पैमाई नहीं की गई। तथा प्रतिवादी चन्दा द्वारा जिरह में यह बताया कि सी डी स्थान पर मेरी फोटो है तथा बटवारा कभी भी तहसील में नहीं हुआ तथा मैं कभी भी तहसील में नहीं गया। शान्ति को मैं नहीं जानता हूँ, तहसीलदार छुट्टी पर था तथा मैं मेरी जमीन पर कब्जा है तथा कालूराम द्वारा यह बताया गया कि मैं 60 साल का हूँ चन्दा मेरे भाई का लडका है भूमि का कभी भी बटवारा नहीं हुआ है। वादीया द्वारा प्रस्तुत विभाजन पत्र तहसीलदार के बाबत जिरह में यह कहा कि मैं कभी तहसील में नहीं गई तथा मेरे हस्ताक्षर किस स्थान पर है मैं नहीं पहचानती प्रतिवादी द्वारा भी अपनी जिरह में यह कहा गया है भूमि का विभाजन कभी भी

सहायक कलेक्टर (फस्ट डिवीजन) आमेर
पुष्पालय-जयपुर

नहीं हुआ है तथा मोके पर कभी भी नाप जोख नहीं हुई है सभी स्वतंत्र गवाहो ने माननीय न्यायालय के सम्मक्ष जिरह में यह कहा है कि मौके पर प्रतिवादी चन्दाराम की लोहे की थडी रखी हुई है जिस का उपयोग काफी वर्षो से चन्दाराम द्वारा किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितयो में विवादित आराजीयात पर वादीया का कब्जा काशत नहीं है तो स्थाई निषेधाज्ञा का दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। वादीया द्वारा प्रतिवादी के जवाब दावा का भी कोई उत्तर नहीं दिया तथा समस्त स्वतंत्र गवाहो द्वारा भी बंटवारा होना नहीं माना है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत बंटवारा नामा खारिज किया जाकर पुनः भूमि के तकासमें का आदेश दिया जाना न्यायहित में है। अपने जवाब दावें एवं बयान गवाहान को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का वाद खारिज किया जावें। हमने बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन से पाया कि वाद पत्र का निस्तारण वाद में विरचित तनकीयात अनुसार किया जाना आवश्यक है।

तनकी संख्या एक:- इस तनकी को साबित करने का भार वादीया पर है, इस सम्बन्ध में वादीया का कहना है कि दिनांक 25.02.2016 को हुए बंटवारे अनुसार वाद अधीन भूमि खसरा नं. 125/2, 126 वाके ग्राम चन्दवाजी का वादीया रिकार्डड खातेदार काशतकार है। जो प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 से साबित होता है उक्त तनकी वादीया के पक्ष में तय की जाती है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या दो:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से वाद में काउन्टर क्लेम पेश किया है कि विवादित आराजीयात का विभाजन नहीं हुआ है तथा दिनांक 25.02.2016 को व जिस पर दिनांक 01.03.2016 को तहसीलदार के हस्ताक्षर किये गये है को निरस्त किया जावे उक्त बंटवारे नामे को प्रतिवादी की ओर से सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। ना ही प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश किया है कि अधीन भूमि का विभाजन मुगालते में व फर्जकारी करके किया गया है। उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादी पूर्णतया असफल रहे है। अतः उक्त तनकी भी वादीया के पक्ष में तय की जाती है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या तीन:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। उक्त विभाजन पूर्व में सक्षम स्तर पर हुआ है। उक्त विभाजन के निरस्त करने की कार्यवाही भी सक्षम स्तर पर ही संभव है। उक्त तनकी का संबंध तनकी सं 2 से होने से इसका निस्तारण तनकी सं 2 में किया जा चुका है।

तनकी संख्या चार:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। वादकारण दिनांक 25.07.2017 को उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है। उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादी पूर्णतया असफल रहे है। अतः उक्त तनकी भी वादीया के पक्ष में तय की जाती है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या पाँच:- उक्त तनकी संख्या 1 लगायत 4 वादीया के पक्ष में तय की जाती है उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादीया का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम सालडवास पटवार क्षेत्र चंदवाजी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चंदवाजी, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 125/2 रकबा 0.13 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 126 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर में वादीया के कब्जेकाशत में किसी प्रकार से मजाहमत नहीं करें, ना ही अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावे। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्यामा शौंड)
सहायक न्यायाधीश (आर.पी.डी.के.) आमेर
मुख्य न्यायालय जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व इजलास श्यामा राठौड,

आर.ए.एस

वाद संख्या : 26/2017

निर्णय दिनांक : 10.01.2024

शांति देवी पत्नी श्री रघुनाथ प्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास, तहसील आमेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

चन्दाराम पुत्र श्री रामसहाय जाति मीणा निवासी ग्राम सालडवास, तहसील आमेर जिला जयपुर प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पे होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाके ग्राम सालडवास पटवार क्षेत्र चंदवाजी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चंदवाजी, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 125/2 रकबा 0.13 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 126 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से मजाहमत नहीं करें, ना ही अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.01.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
ओहदा मुख्यालय-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

.....
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर